प्रेस नोट दिनांक 27.09.2019
थाना फतेहगंज पश्चिमी जिला बरेली

थाना फतेहगंज पश्चिमी पुलिस द्वारा एक ट्रक – टाटा नम्बर RJ 05 GA 7603 से कुल 345 पेटियां जिसमें 315 पेटी (15120 पौवा) व 30 पेटी (360 बोतल) हरियाणा मार्का शराब बरामद अनुमानित कीमत 25,00,000/- रूपये (पच्चीस लाख रूपये) 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय बरेली श्री शैलेश कुमार पाण्डेय द्वारा जनपद बरेली में चलाये जा रहे अवैध शराब/अफीम/गांजा/चरस/स्मैक की रोकथाम व अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण डा0 श्री संसार सिंह व क्षेत्राधिकारी मीरगंज महोदय श्री जगमोहन सिंह बुटोला के निर्देशन में आज दिनांक 27.09.2019 को SHO श्री राजकुमार तिवारी मय, व0उ0नि0 श्री शुजाउर रहीम थाना फतेहगंज पश्चिमी, बरेली मय हमराह पुलिस बल के साथ मुखबिर की सूचना पर जीरो प्वाइन्ट राधा कृष्ण मंदिर नेशनल हाईवे थाना फतेहगंज पश्चिमी जनपद बरेली पर एक ट्रक नम्बर RJ 05 GA 7603 (टाटा) को संदिग्धता के आधार पर रोककर चैक किया गया तो एक व्यक्ति ट्रक से उतरकर भाग गया जिसका नाम **टिंकल उर्फ प्रमोद राजपूत** निवासी ग्राम बडढा थाना सिम्भावली, जनपद हापुड था। ट्रक को **देवेन्द्र राजपूत पुत्र फतेह सिंह** निवासी राजपुर थाना सिम्भावली जिला हापुड चला रहा था तथा परिचालक की सीट पर **चन्दकिरन पुत्र राजेन्द्र** निवासी ग्राम राजपुर थाना सिम्भावली जिला हापुड बैठा हुआ था ट्रक को चैक किया गया तो ट्रक से 315 पेटी (जिसमें 15120 पौवा हरियाणा मार्का) व 30 पेटी (360 बोतल हरियाणा मार्का) शराब कुल 345 पेटियां बरामद हुई। बरामदा शराब के बारे मे जानकारी की गयी तो बताया कि यह माल हम तीनों व गाडी मालिक **तजेन्द्र सिंह पुत्र सेवा सिंह** निवासी मौ0 1788 मौहल्ला कृष्णापुरी जनपद मथुरा, **अमित पुत्र रामपाल** सिंह निवासी 702 भारत कालौनी थाना सैनिक कालोनी जनपद फरीदाबाद प्रान्त हरियाणा, **परवेज** निवासी राजपुर थाना सिम्भावली जनपद हापुड व **जफर पुत्र शेरमौहम्मद** निवासी राजपुर थाना सिम्भावली, हापुड, हरियाणा से दो नम्बर की शराब लेकर **ट्रांसपोर्टर नागर ट्रांसपोर्ट** इन्द्रा काम्पलैक्स मवई रोड नहर पार फरीदाबाद व **ए0के0 इन्डस्ट्रीज** 81 हाई स्ट्रीट BH 304 सेक्टर 81 को हम साज कर गिरोह बनाकर हरियाणा से बिहार ले जाकर भोली भाली जनता को धोखा देकर बेचकर धन कमाते है। जिनके विरूद्ध थाना फतेहगंज पश्चिमी जिला बरेली पर आबकारी अधिनियम के तहत **मु0अ0सं0 341/19 धारा 420 भादवि व 60/63/72 आबकारी अधिनियम** पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण:

1. देवेन्द्र राजपूत पुत्र फतेहसिंह निवासी राजपुर थाना सिम्भावली जिला हापुड (चालक)
2. चन्दकिरन पुत्र राजेन्द्र निवासी ग्राम राजपुर थाना सिम्भावली जिला हापुड

बरामदगी:-

ट्रक – टाटा नम्बर RJ 05 GA 7603 से कुल 345 पेटियां जिसमें 315 पेटी (15120 पौवा) व 30 पेटी (360 बोतल) हरियाणा मार्का बरामद हुई जिसकी अनुमानित कीमत 25,00,000/- रूपये (पच्चीस लाख रूपये) है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. SHO श्री राज कुमार तिवारी थाना फतेहगंज पश्चिमी
2. व0उ0नि0 श्री शुजाउर रहीम थाना फतेहगंज पश्चिमी
3. का0 2130 तरूण यादव थाना फतेहगंज पश्चिमी
4. का0 2636 पुष्पेन्द्र चौधरी थाना फतेहगंज पश्चिमी
5. का0 2624 सतेन्द्र कुमार थाना फतेहगंज पश्चिमी